भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3503

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू पर्यटकों की आवक

3503. श्री विनोद लखमशी चावडाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा घरेलू पर्यटकों की आवक का लक्षित अनुमान क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या इससे देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे यात्रियों की पहचान करने के लिए कोई मानदंड-निर्धारित किया है; और

(घ) और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू पर्यटकों की आवक के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका उल्लेख **अनुबंध** में किया गया है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुबंध

घरेलू पर्यटकों की आवक के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 3503 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय ने देश में घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) **देखो अपना देश:** पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की थी, जिसे मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है। इस पहल के तहत मंत्रालय हितधारकों के साथ जुड़े रहने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, प्रतिज्ञा, चर्चा, रोड शो आयोजित करता रहा है। इसकी शुरूआत से अबतक देखो अपना देश ब्रांड लाइन के तहत 112 से अधिक वेबिनार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए हैं।

(ii) **एक भारत श्रेष्ठ भारत:** पर्यटन मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत के संवर्धन के लिए युग्मित राज्यों/कैंद्र शासित प्रदेशों के बीच रोड शो, पारिवारिक यात्राएं, बी2बी बैठकें, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, वेबिनार जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है।

(iii) **स्कूलों और संस्थानों में प्रश्नोत्तरी/ निबंध प्रतियोगिता:** मंत्रालय अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से आईएचएम, आईआईटीटीएम, स्कूलों में देश के इतिहास, विरासत, पर्यटन उत्पादों तथा गंतव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशोत्तरी कार्यक्रम, पोस्टर निर्माण तथा निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है।

(iv) **सोशल मीडिया और वेबसाइट पर घरेलू पर्यटन का संवर्द्धन:** मंत्रालय और घरेलू कार्यालयों के सोशल मीडिया हैंडल पर देश के गंतव्यों, उत्पादों, त्योहारों, व्यंजनों आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं।

(v) **भारत पर्व और पर्यटन पर्व:** पर्यटन मंत्रालय नागरिकों को समृद्ध संस्कृति, इतिहास, विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पिछले चार वर्षों से राज्यों /संघ शासित प्रदेशों और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से भारत पर्व और पर्यटन पर्व का आयोजन करता है। इन आयोजनों का उद्देश्य पर्यटन के लाभों पर ध्यान आकर्षित करना और सभी के लिए पर्यटन के सिद्धांत को मजबूत करना है।

(vi) **मेलों/ त्योहारों/आयोजनों का संवर्द्धन:** जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय नागरिकों की भागीदारी के साथ विशेष कार्यक्रम/दिवस का आयोजन करता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के 125 वर्ष की स्मृति, आजादी का अमृत महोत्सव और अन्य क्षेत्रीय त्योहार आदि ।

(vii) **उद्योग हितधारकों के साथ संवाद:** पर्यटन मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालय पर्यटन क्षेत्र को खोलने, पर्यटकों को संभालने, सुरक्षा और संरक्षा के प्रोटोकॉल, सेवा मानकों आदि से संबंधित मुद्दों पर यात्रा उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से संवाद

कर रहे हैं। हितधारकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से नजदीकी गंतव्यों के लिए यात्रा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय भी इनके साथ समन्वय कर रहा है।

(viii) घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए): पर्यटन मंत्रालय ने योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए नवंबर 2020 में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा का विस्तार किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी अब इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

****